LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Tuesday, December 10, 2024 / Agrahayana 19, 1946 (Saka)

HON’BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, December 10, 2024 / Agrahayana 19, 1946 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

OBSERVATION RE: MAINTAINING DIGNITY AND DECORUM OF THE HOUSE	**1**
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 201 – 220)	**2 – 50**
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 2301 – 2530)	**51 – 280**

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Tuesday, December 10, 2024 / Agrahayana 19, 1946 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Tuesday, December 10, 2024 / Agrahayana 19, 1946 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281 - 291 & 293 - 97**
COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS 1st Report	**292**
STANDING COMMITTEE ON ENERGY 1st and 2nd Reports	**292**
STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS 1st and 2nd Reports	**292**
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 51ST REPORT OF STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND FOOD PROCESSING – LAID Shri Bhagirath Choudhary	**293**
ELECTIONS TO COMMITTEES (i) Committee on Official Language (ii) Coconut Development Board	**298**
BILL INTRODUCED Merchant Shipping Bill	**299 - 302**

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID 303 - 16

Shri Dineshbhai Makwana 303

Shrimati Smita Uday Wagh 303

Shri Anurag Sharma 304

Shri Shashank Mani 304

Shri Bhartruhari Mahtab 305

Shrimati Manju Sharma 305

Sushri Kangana Ranaut 306

Shrimati Daggubati Purandeswari 306

Shri Mukesh Rajput 307

Shri Janardan Singh Sigriwal 307

Shri Arun Govil 308

Shri Khagen Murmu 308

Shri Murari Lal Meena 309

Dr. Bachhav Shobha Dinesh 309

Shri Ujjwal Raman Singh 310

Shri Brijendra Singh Ola 310

Adv. Adoor Prakash 311

Shri Anand Bhadauria 312

Shri Ramashankar Rajbhar 313

Prof. Sougata Ray 313

Dr. Kalanidhi Veeraswamy 314

Shri Shrirang Appa Chandu Barne 314

Shri Arun Bharti 315

Shri Sudama Prasad 315

Shri Umeshbhai Babubhai Patel 316

Shri Rajesh Ranjan 316

… 317 - 18

(1100/KDS/UB)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

सभा की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखने के बारे में टिप्पणी

1100 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, संसद एक पवित्र स्थल है और इस भवन की एक उच्च गरिमा, प्रतिष्ठा व मर्यादा है। इसी भवन में हमने आजादी भी प्राप्त की है। यहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यह सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद में देश की आकांक्षाओं-अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्त की है। मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर्स, मुखौटों का प्रयोग किया जा रहा है, वह न केवल अशोभनीय है, बल्कि हमारी नियम-प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के विपरीत भी है।

मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण, व्यवहार भी संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मेरा आग्रह है, चाहे सत्तापक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो…

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप कृपया बैठिए। आप मेरी पूरी बात सुनिए। चाहे सत्तापक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, सभी दलों के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। यदि आप मर्यादित गरिमा और आचरण रखेंगे, तो जनता में एक ठीक व सकारात्मक संदेश जाएगा। इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लोगों की बड़ी आस्था व विश्वास है। पिछले 75 वर्षों में चर्चा-संवाद, सहमति-असहमति, तीखी आलोचना, ये सब इस सदन में हुए हैं, जो यहां की परंपरा भी रही है। अत: आप सकारात्मक सहयोग करें। जो भी विषय व मुद्दे हैं, उन पर आप चर्चा करें। सत्तापक्ष व प्रतिपक्ष के लोग आपस में बैठकर चर्चा करें। सदन को चलाने का प्रयास करें। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई कि प्रश्नकाल में हम सदन को चलने देंगे। मुझे आशा है कि आप इस परंपरा-परिपाटी व इस सदन की पीठ को सकारात्मक सहयोग करेंगे। सदन गरिमा से चले, यह मेरी अपेक्षा है। यदि कोई विषय है, तो प्रश्नकाल के बाद आप शून्यकाल में अपने विषय को रखें। यह मेरा आपसे आग्रह है।

अब प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या-201, श्री दिलीप शइकीया।

… (व्यवधान)

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : प्रश्न संख्या-201 … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं? सदन मर्यादा और गरिमा से चलेगा। सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

1104 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/MK/SRG)

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्री दिलीप शइकीया पीठासीन हुए)

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज, आप सब लोग बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज, आप सब लोग अपना-अपना आसन ग्रहण कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : सरकार की मंशा सदन चलाने की नहीं है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य यादव जी, आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1201 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आइटम नम्बर – 2.

श्री जितिन प्रसाद जी ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 19 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992:-

(i) S.O.416(E) published in Gazette of India dated 6th February, 2015, regarding amendment in import policy conditions of cardamoms under ITC (HS) 0908 31 of Chapter 09 of ITC (HS), 2012 – Schedule – 1 (Import Policy).

(ii) S.O.3838(E) published in Gazette of India dated 6th February, 2017, regarding amendment in Import Policy condition of pepper classified under Chapter 09 of ITC (HS), 2017 – Schedule – 1 (Import Policy).

(iii) S.O.1309(E) published in Gazette of India dated 21st March, 2018, regarding amendment in Import Policy condition of pepper classified under Chapter 09 of ITC (HS), 2017 – Schedule – 1 (Import Policy).

(iv) S.O.3612(E) published in Gazette of India dated 25th July, 2018, regarding amendment in Import Policy of arecanut classified under Exim code 080280 of Chapter 08 of ITC (HS), 2017 – Schedule – I (Import Policy).

(v) S.O.3613(E) published in Gazette of India dated 25th July, 2018, regarding amendment in Policy condition of pepper classified under Chapter 09 of ITC (HS), 2017 – Schedule – I (Import Policy).

(2) Five Statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 2023-2024.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Quality Council of India, New Delhi, for the year 2023-2024.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust, New Delhi, for the year 2023-2024.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Rubber Materials Research Institute, Thane, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Rubber Materials Research Institute, Thane, for the year 2023-2024.

(7) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited, Jammu, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Jammu and Kashmir Development Finance Corporation Limited, Jammu, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the National Industrial Corridor Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the National Industrial Corridor Development Corporation Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the EEPC India, Kolkata, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the EEPC India, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

… (व्यवधान)

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) नेशनल को-आपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) नेशनल को-आपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

... (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 3950(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत उसमें उल्लिखित अधिकारिता क्षेत्र के साथ पादप संरक्षण, संघरोध और भंडारण निदेशालय के 207 अधिकारियों की कीटनाशी निरीक्षकों के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 468(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 से संबंधित जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 की अनुसूची में क्रम संख्या 5 पर उपबंधों के प्रभावी होने की तारीख के रूप में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को अधिसूचित किया गया है।

(3) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा (3) की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(4) (एक) फल और सब्जियां श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 2024 जो 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.480(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) मोटा अनाज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2024 जो 5 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.479(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 62(अ) जो दिनांक 25 मई, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 5ग के अंतर्गत विपणन और निरीक्षण निदेशालय के उसमें उल्लिखित अधिकारियों को, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचना में प्रत्यक के सामने उल्लिखित क्षेत्र के लिए, आगे के देश जारी होने तक, न्यायनिर्णयन अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओडिशा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलोर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलोर का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) की मद संख्या (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (<u>व्यवधान</u>)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, असम राइफल्स नायब सूबेदार (स्टोर कीपर टेक्निकल इंजीनियर), समूह 'ख' कंबैटाइज्ड पद, भर्ती नियम, 2024 जो 17 अगस्त, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 110(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 जो 12 अक्तूबर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 138(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) कोएलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोएलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) उमा एजुकेशन एंड टेक्निकल सोसाएटी, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उमा एजुकेशन एंड टेक्निकल सोसाएटी, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) आदित्य एजुकेशन सोसाएटी, एलुरू जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आदित्य एजुकेशन सोसाएटी, एलुरू जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) अलाकेन्दु बोध निकेतन रेजिडेन्शियल, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अलाकेन्दु बोध निकेतन रेजिडेन्शियल, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नेशनल ट्रस्ट फॉर दि वेलफेयर ऑफ पर्संस विद ओटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिसऐबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ट्रस्ट फॉर दि वेलफेयर ऑफ पर्संस विद ओटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिसऐबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) देवनार फाउंडेशन फॉर दि ब्लाइंड, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) देवनार फाउंडेशन फॉर दि ब्लाइंड, हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) भ्रदाचलम एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन एण्ड एजुकेशन सोसाएटी फॉर दि हैंडीकैप्ड, कोथागुडम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भ्रदाचलम एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन एण्ड एजुकेशन सोसाएटी फॉर दि हैंडीकैप्ड, कोथागुडम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

… (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडि संजय कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) रेप्को बैंक, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेप्को बैंक, चेन्नई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, गांधीनगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, गांधीनगर के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर – 8, श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी।

… (व्यवधान)

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक महासंघ लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक महासंघ लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) (एक) नेशनल कोऑपरेटिव एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कोऑपरेटिव एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, आणंद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन एम्प्लॉयीस प्रोविडेंट फंड के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI PABITRA MARGHERITA): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool Research Association, Thane, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wool Research Association, Thane, for the year 2023-2024.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bombay Textile Research Association, Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bombay Textile Research Association, Mumbai, for the year 2023-2024.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Synthetic & Art Silk Mills' Research Association, Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Synthetic & Art Silk Mills' Research Association, Mumbai, for the year 2023-2024.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Man-Made Textiles Research Association, Surat, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Man-Made Textiles Research Association, Surat, for the year 2023-2024.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Jute Industries Research Association, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Jute Industries Research Association, Kolkata, for the year 2023-2024.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Northern India Textile Research Association, Ghaziabad, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Northern India Textile Research Association, Ghaziabad, for the year 2023-2024.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Wool Development Board, Jodhpur, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Wool Development Board, Jodhpur, for the year 2023-2024.

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Silk Board, Bengaluru, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Silk Board, Bengaluru, for the year 2022-2023.

(9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

… (व्यवधान)

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS
1st Report

1204 hours

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I beg to lay the First Report (Hindi and English versions) of the Committee on Public Accounts (2024-25) on “Excesses over Voted Grants and Charged Appropriations (2021-22)”.

… (व्यवधान)

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
पहला और दूसरा प्रतिवेदन

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) ‘विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2024-25)’ संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) ‘नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2024-25)’ संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

… (व्यवधान)

STANDING COMMITTEE ON HOUSING AND URBAN AFFAIRS
1st and 2nd Reports

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Sir, I beg to lay the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Housing and Urban Affairs (2024-25):-

(1) First Report on “Demands for Grants (2024-25)” pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs.

(2) Second Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Twenty-first Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs (2023-24) on the subject, “Smart Cities Mission: An Evaluation” pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs.

(1205/SJN/RCP)

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी) : सभापति महोदय, मैं कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) (मांग संख्या 1) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

PAPERS LAID ON THE TABLE – contd.

HON. CHAIRPERSON (SHRI DILIP SAIKIA): Item No.8, Shri Kiren Rijiju ji.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, on behalf of my colleague Shri Bhupathi Raju Srinivasa Varma, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the MOIL Limited, Nagpur, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the MOIL Limited, Nagpur, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the KIOL Limited, Bengaluru, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the KIOL Limited, Bengaluru, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the Steel Authority of India Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Steel Authority of India Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Statement regarding review by the Government of the working of the National Bicycle Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the National Bicycle Corporation of India Limited, Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(e) (i) Statement regarding review by the Government of the working of the Andrew Yule & Company Limited, Kolkata, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Andrew Yule & Company Limited, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(f) (i) Review by the Government of the working of the MSTC Limited, Kolkata, including its subsidiary Ferro Scrap Nigam Limited, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the MSTC Limited, Kolkata, including its subsidiary Ferro Scrap Nigam Limited, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(g) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Sambhar Salts Limited, Jaipur, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Sambhar Salts Limited, Jaipur, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(h) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Salts Limited, Jaipur, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Hindustan Salts Limited, Jaipur, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(i) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(j) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Bharat Pumps & Compressors Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Bharat Pumps & Compressors Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(k) (i) Statement of Review by the Government of the working of the M/s Braithwaite Burn & Jessop Construction Limited, Kolkata, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Braithwaite Burn & Jessop Construction Limited, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(l) (i) Review by the Government of the working of the Instrumentation Limited, Jaipur, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Instrumentation Limited, Jaipur, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(m) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Scooters India Limited, Lucknow, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Scooters India Limited, Lucknow, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(n) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the M/s Bridge & Roof Company (India) Limited, Kolkata, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the M/s Bridge & Roof Company (India) Limited, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(o) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the M/s Richardson & Cruddas (1972) Limited, Mumbai, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the M/s Richardson & Cruddas (1972) Limited, Mumbai, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(p) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Cables Limited, Kolkata, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Hindustan Cables Limited, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(q) (i) Review by the Government of the working of the Cement Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Cement Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(r) (i) Review by the Government of the working of the MECON Limited, Jharkhand, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the MECON Limited, Jharkhand, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(s) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Tungabhadra Steel Products Limited, Bengaluru, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the Tungabhadra Steel Products Limited, Bengaluru, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(t) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the NEPA Limited, Nepanagar, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the NEPA Limited, Nepanagar, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(u) (i) Review by the Government of the working of the NMDC Limited, Hyderabad, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report of the NMDC Limited, Hyderabad, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(v) (i) Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the NMDC Steel Limited, Nagarnar, for the year 2023-2024.

(ii) Annual Report (Hindi and English versions) of the NMDC Steel Limited, Nagarnar, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Automotive Research Association of India, Pune, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Automotive Research Association of India, Pune, for the year 2023-2024.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Manufacturing Technology Institute, Bengaluru, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Manufacturing Technology Institute, Bengaluru, for the year 2023-2024.

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Addendum to the Memorandum of Understanding between the Steel Authority of India Limited and the Ministry of Steel, for the year 2024-2025.

(ii) Memorandum of Understanding between the Bharat Heavy Electricals Limited and the Ministry of Heavy Industries, for the year 2024-2025.

(iii) Memorandum of Understanding between the MOIL Limited, Nagpur and the Ministry of Steel, for the year 2024-2025.

(iv) Memorandum of Understanding between the MSTC Limited and the Ministry of Steel, for the year 2024-2025.

(v) Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Mineral Development Corporation and the Ministry of Steel, for the year 2024-2025.

समितियों के लिए निर्वाचन

(i) राजभाषा समिति

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : आइटम नंबर – 15.

श्री नित्यानन्द राय जी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : सभापति महोदय, श्री अमित शाह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री चव्हाण वसंतराव बलवंतराव, जिनका 26 अगस्त, 2024 को निधन हो गया है, के स्थान पर राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप-धारा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री चव्हाण वसंतराव बलवंतराव, जिनका 26 अगस्त, 2024 को निधन हो गया है, के स्थान पर राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) नारियल विकास बोर्ड

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 16.

श्री शिवराज सिंह चौहान जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री राम नाथ ठाकुर जी।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) : महोदय, श्री शिवराज सिंह चौहान जी की ओर से, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981, यथासंशोधित, के नियम 4 के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन, नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि नारियल विकास बोर्ड नियम, 1981, यथासंशोधित, के नियम 4 के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन, नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक

1207 बजे

माननीय सभापति : आइटम नंबर – 17.

श्री सर्बानंद सोनोवाल जी।

THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SARBANANDA SONOWAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to merchant shipping to ensure compliance with India's obligation under the maritime treaties and international instruments to which India is a party and also to ensure the development of Indian shipping and efficient maintenance of Indian mercantile marine in a manner best suited to serve the national interest and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to merchant shipping to ensure compliance with India's obligation under the maritime treaties and international instruments to which India is a party and also to ensure the development of Indian shipping and efficient maintenance of Indian mercantile marine in a manner best suited to serve the national interest and for matters connected therewith or incidental thereto."

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Mr. Chairperson Sir, under Rule 72 (2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I rise to oppose the introduction of the Merchant Shipping Bill, 2024.

Over the past five years, I have repeatedly opposed the introduction of Bills in this House by the Union Government for the lack of legislative competence. Let me explain as to how this introduction also lacks legislative competence.

If you look at Entry 25 of the Union List, it covers maritime shipping and navigation. The specific subject of merchant shipping, which pertains to a commercial activity, does not have a direct entry. This creates ambiguity regarding the Union's legislative competence over this matter. Further, Entry 32 of the Concurrent List, which deals with shipping and navigation on inland waterways, may lead to a jurisdictional overlap making it unclear whether the Union Government has the exclusive authority to legislate on merchant shipping.

Secondly, merchant shipping being a commercial activity falls under Entry 33 of the Concurrent List which addresses the subject of trade and commerce. This raises questions whether the Parliament possesses exclusive jurisdiction to legislate on commercial matters.

(1210/PS/SPS)

This potential overlap between maritime navigation and commercial shipping under the Concurrent List further complicates the issue and would undermine the Constitutional validity.

HON. CHAIRPERSON (SHRI DILIP SAIKIA): Manish ji, you will get sufficient time during the discussion on the Bill.

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Mr. Chairperson, let me conclude.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Lastly, the Bill consolidates the substantial authority within the Central Government, diminishing the role of States in regulating and managing their coastal ports and shipping activities. This centralisation of power contradicts the principles of federalism and cooperative governance enshrined in the Constitution and limits the States' participation … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Manish ji, thank you for your opinion.

I now call Shri N.K. Premachandran.

SHRI MANISH TEWARI (CHANDIGARH): Mr. Chairperson, all I want to say is that it also lacks Constitutional validity.

HON. CHAIRPERSON: You will get sufficient time during the discussion.

Shri N.K. Premachandran. He is not here.

Prof. Sougata Ray.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Under Rule 72 (1) of the Rules of Procedure, I beg to oppose the introduction of the Merchant Shipping Bill, 2024 to consolidate and amend the law relating to merchant shipping to ensure compliance with India's obligation under the maritime treaties and international instruments to which India is a party and also to ensure the development of Indian shipping and efficient maintenance of Indian mercantile marine in a manner best suited to serve the national interest and for matters connected therewith or incidental thereto.

In this House, I have earlier opposed all the attempts made by the Government to bureaucratise the system. … (*Interruptions*) Sir, just one moment. I have not even spoken. Always the Central Government is setting up newer and newer authorities, imposing newer and newer regulations. It will be handing over power to the bureaucracy. The Mercantile marine develops of its own because we have a long coastline and we have a lot of trade with other countries. But what they are doing is that they will have a National Shipping Board, National Seafarer's Welfare Board and also a Director-General of Mercantile Shipping.

HON. CHAIRPERSON: Sougata ji, you will get time during the discussion. Please conclude. It is just an opening remark.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Hon. Chairperson, Sir, let me complete my sentence. Please do not cut me short midway.

Sir, that is why, I think, this will be hindering and not helping the development of merchant shipping nor will it improve the conditions of work of seafarers, and it will merely put impediment to the development of the mercantile shipping as well.

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Sir, the Merchant Shipping Bill, 2024 … (*Interruptions*)

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): Sir, please allow us to raise the Privilege Motion. … (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : सर, कांग्रेस पार्टी जिस प्रिवलेज की बात कर रही है। … (व्यवधान) पहले चार दिनों तक आप लोगों ने सदन के समय को बर्बाद किया। … (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : सर, अभी उनकी बात खत्म नहीं हुई … (व्यवधान) लेकिन इनका भाषण शुरू हो गया है। … (व्यवधान) यह सरकार की सुनिश्चित योजना है। … (व्यवधान)

श्री बी. मणिक्कम टैगोर (विरूधुनगर) : सर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप हाउस नहीं चलाना चाहते हैं। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, you please sit down.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप प्रस्ताव को पुर:स्थापित करें।

… (<u>व्यवधान</u>)

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Respected Sir, the Merchant Shipping Bill, 2024 is as per the Constitutional provisions. … (*Interruptions*)

श्री गौरव गोगोई (जोरहाट) : आपको विपक्ष की बात भी सुननी पड़ेगी। सब अपने-अपने मुद्दे लेकर आए हैं। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated.

… (*Interruptions*)

SHRI SARBANANDA SONOWAL: It has been vetted by the Department of Legal Affairs and Legislative Department. Earlier, the Merchant Shipping Bill was introduced in the Lok Sabha in 2016 and was referred to the Parliamentary Standing Committee. … (*Interruptions*) It was also discussed in detail in the Parliamentary Standing Committee, and it was also extensively discussed with the relevant stakeholders.

Sir, this is as per the provisions of the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि समुद्री संधियों और अंतरराष्ट्रीय लिखतों, जिनमें भारत एक पक्षकार है, के अधीन भारत की बाध्यताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तथा राष्ट्रीय हित की सर्वोत्तम उपयुक्त रीति में पूर्ति के लिए भारतीय वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के दक्ष अनुरक्षण तथा भारतीय पोत परिवहन के विकास को भी सुनिश्चित करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए वाणिज्य पोत परिवहन से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुर:स्थापित करें।

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Sir, I introduce the Bill.

नियम 377 के अधीन मामले- सभा पटल पर रखे गए।

1214 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है, वे तुरंत अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं।

Re: Need to construct a railway overbridge at Maninagar railway crossing in Ahmedabad West Parliamentary Constituency

श्री दिनेशभाई मकवाणा (अहमदाबाद पश्चिम) : मेरे संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद (पश्चिम) में मणिनगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे क्रॉसिंग में ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर मुंबई की ओर जाने वाली रेल लाइनों के कारण यहाँ काफी ट्रैफिक होता है। जब भी रेलवे क्रॉसिंग बंद होती है, तब वहाँ पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे न केवल यातायात की रुकावट होती है, बल्कि लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

यह समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है, और स्थानीय जनता की सुरक्षा और समय की बचत के लिए इस पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि इस रेलवे क्रॉसिंग के पास एक ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए ताकि यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके और लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया जाए और शीघ्र ही मणिनगर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। यह न केवल यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाएगा, बल्कि स्थानीय नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। (इति)

Re: Need to provide adequate facilities at Jalgaon Airport, Maharashtra

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे लोकसभा क्षेत्र के जलगांव हवाई अड्डे की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। जलगांव हवाई अड्डा महाराष्ट्र के सबसे तेजी से विकसित हो रहे हवाई अड्डों में से एक है और यह मुंबई, पुणे, हैदराबाद, गोवा और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से सीधा जुड़ा है। यह हवाई अड्डा विश्वप्रसिद्ध अजंता गुफाओं से मात्र 47 किमी की दूरी पर स्थित है, जो इसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार बनाता है। खानदेश क्षेत्र के जलगांव और आसपास के जिलों के आर्थिक, औद्योगिक, विकास में इस हवाई अड्डे की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त, यहां संचालित दो पायलट प्रशिक्षण स्कूल बड़ी संख्या में छात्रों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हालांकि, कई चुनौतियां इस हवाई अड्डे की प्रगति में बाधा बनी हुई हैं। वर्तमान में यह केवल एक शिफ्ट में कार्य करता है, जबकि सुचारू संचालन के लिए दो शिफ्ट और एक इंजीनियरिंग टीम की आवश्यकता है। टर्मिनल का विस्तार, डिपार्चर हॉल और सुरक्षा होल्ड एरिया का सुधार, तथा फूड स्टॉल जैसी आधुनिक सुविधाओं की स्थापना भी जरूरी है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इन मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए जल्द समाधान सुनिश्चित करें। (इति)

Re: Need to amend Jhansi Master Plan 2031

श्री अनुराग शर्मा (झाँसी) : मैं इस सदन का ध्यान हाल ही में प्रकाशित झाँसी मास्टर प्लान 2031 में मौजूद खामियों और नागरिकों की चिंताओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पहली समस्या यह है कि मास्टर प्लान पुराने डेटा पर आधारित है, जो झाँसी की वर्तमान जनसंख्या और भौगोलिक परिवर्तनों को नहीं दर्शाता। इसके अलावा, योजना में उपयोग किया गया पैमाना (1:50000) जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता, जिससे इसे लागू करने में कठिनाई हो सकती है। प्रस्तावित भूमि उपयोग जैसे पार्क और आवासीय क्षेत्र, जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं, क्योंकि 2021 के मास्टर प्लान से हुए बदलावों का कोई तुलनात्मक अध्ययन इसमें शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त, 2021 मास्टर प्लान की कमियों और सार्वजनिक फीडबैक को भी 2031 योजना में नजरअंदाज किया गया है। उदाहरण के लिए, मौजा नयागांव की भूमि संख्या 814 को पार्क के रूप में चिन्हित किया गया है, जबकि वह एक विकसित क्षेत्र है। यह योजना क्षेत्र की वास्तविक स्थिति और आवश्यकताओं की अनदेखी करती है। मैं माननीय आवास और शहरी कार्य मंत्री से निवेदन करता हूँ कि 2021 के बाद हुए परिवर्तनों का समायोजन करते हुए मास्टर प्लान को अद्यतन और संशोधित करें, ताकि यह शहर की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

(इति)

Re: Need to provide quality healthcare services in district hospitals currently merged with newly established medical colleges in country

SHRI SHASHANK MANI (DEORIA): In districts like Deoria, where hospitals have been merged with newly established medical colleges, a significant decline in OPD care and medical services has been observed, as these institutions primarily focus on education. This has adversely impacted the availability of quality healthcare services for the public. I urge the Government to address this issue by allocating dedicated funds to improve OPD services in these districts, upgrading adjoining Community Health Centers (CHCs) to reduce the patient load on medical colleges and constructing additional hospitals under a Public-Private Partnership (PPP) model to provide alternative healthcare options. These measures are critical to ensuring accessible and quality healthcare services for the growing population in such districts. I request the Hon'ble Minister to take appropriate action at the earliest.

(ends)

Re: Need to nominate the festival of 'Balijatra' observed in Odisha in the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity of UNESCO

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Balijatra, which translates to "Voyage to Bali," is a festival that commemorates Kalinga's rich maritime heritage and its ancient trade links with Southeast Asian countries, including Bali, Java, Sumatra, Thailand, Cambodia, Malaysia and Sri Lanka. Held on the banks of the Mahanadi River during the auspicious month of Kartika, the festival showcases a vibrant amalgamation of cultural practices, traditional crafts, folk performances, and rituals that have been preserved and celebrated for centuries. This festival is not only a reflection of Odisha's glorious past but also serves as a living tradition, connecting people across generations through shared cultural expressions. From the symbolic floating of miniature boats ("boita bandana") to the display of traditional crafts and cuisines, Balijatra exemplifies the intangible cultural heritage that deserves global recognition and preservation. The inclusion of Balijatra in UNESCO's Representative List will promote culture diversity, enhance tourism, preserve heritage and encourage community participation. Given the cultural and historical importance of Balijatra, I request the Government to take the necessary steps to nominate this festival for UNESCO's Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity. The support of the Ministry of Culture will be instrumental in achieving this recognition and bringing global attention to one of India's most cherished traditions. (ends)

Re: Need to establish a specialized Cancer Research Institute and Hospital for children in Jaipur

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) : भारत में कम आयु वाले बच्चों में कैंसर एक उभरती हुई प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है, जिसमें कैंसर रोगियों की उल्लेखनीय संख्या 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की है। भारत में वर्ष 2012 से 2019 के बीच कैंसर के मामले 1,332,207 दर्ज किये गए। इनमें से लगभग 3.2% और 4.6% मामले क्रमशः 0-14 वर्ष तथा 0-19 वर्ष आयु वर्ग से संबंधित थे। भारत में सभी कैंसर रोगियों में से 3% से अधिक मरीज़ 15 वर्ष से कम उम्र के हैं; 4.6% मरीज़ 20 से कम उम्र के 0-4 और 5-9 आयु वर्ग में कैंसर के सभी मामलों में क्रमशः 42.1% और 42ण.5% ल्यूकीमिया के कारण होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान कि बढ़ती आबादी को मध्य नजर रखते हुये मेरा सरकार से आग्रह है कि पर मेरे लोकसभा क्षेत्र जयपुर में एक उच्च स्तरीय चाइल्ड स्पेस्लिस्ट कैंसर रिसर्च इंस्टिट्यूट और हॉस्पिटल खोला जाये जिससे बाल कैंसर रोगी नैदानिक परीक्षणों में भाग लेकर नवीनतम उपचारों तथा प्रोटोकॉल का उपयोग कर सकते हैं जिससे न केवल जयपुर कि जनता बल्कि पूरे राजस्थान और आस पास के राज्यों को भी इसका लाभ मिल सकें। (इति)

Re: Need to sanction the new Railway Line Project from Bilaspur to Shipki La Pass through Rampur Bushahar in Himachal Pradesh

SUSHRI KANGNA RANAUT (MANDI): Railway Network in Himachal Pradesh has been extended only in Plains i.e. adjoining states of Punjab and Haryana. No step has been yet initiated to develop Railway Network in core Hills in upper and interior reaches of Himachal Pradesh to connect Kullu, Shimla and Kinnaur districts with main-lines of Indian Railway Network. The trains running on existing narrow gauge lines (Kalka- Shimla & Pathankot Joginder Nagar) have speed limitations. Therefore, There is a need of broad gauge lines in the State of Himachal Pradesh that withstands higher speed with higher load capacities which is essential not only for uplifting social-economic status of its people by way of tourism and employment but also from strategic point of views to cater for defence needs and safeguards. Towards Northeast of State, Bilaspur- Manali Broad gauge lines survey work is in progress and Manali-Leh survey has been already completed but sanction is awaited. Survey for New Line from Bilaspur to Rampur Bushahar (134.33 Km) was done in 2012. This line is strategically very important as it's further extension to the Kinnaur upto Shipki La pass on Indo- China Boarder will safeguard Country's strategic interest. I urge the Minister of Railways to consider sanctioning of Railway Line from Bilaspur to Rampur Bushahar – Shipki La. (ends)

Re: Need to modernize the Yerracalva Reservoir Project in Eluru district, Andhra Pradesh with strong embankments and increasing reservoir capacity

SHRIMATI DAGGUBATI PURANDESWARI (RAJAHMUNDRY): The Yerracalva Reservoir Project, located in Konguvarigudem village of Jangareddygudem mandal in the Eluru district of Andhra Pradesh, has been a vital resource since its inception in 1976. It was designed to irrigate 24,700 acres across eight mandals, relying on the Yerracalva River, which spans over 185 kilometers before merging with the Upputeru River. With a 2.73-kilometer-long earthen dam, a spillway regulator, and a canal network, the project is crucial for sustaining agriculture in the region. However, natural calamities, like the 2018 catastrophic cyclone, exposed vulnerabilities in its infrastructure. Floodwaters exceeded the reservoir's capacity, damaging farmlands and structures along with the livelihoods of thousands of farmers and efforts to address these issues remain incomplete. Therefore, I urge the Central Government to modernize and flood-proof the project by strengthening embankments, upgrading drainage, and increasing reservoir capacity. This is essential to protect livelihoods, ensure agricultural sustainability, and support the region's overall economic stability. (ends)

Re: Need to start construction of the proposed Greenfield Economic Corridor Expressway from Ghaziabad to Kanpur

श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद) : मैं भारत के यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रस्तावित गाजियाबाद से कानपुर तक वाया फर्रुखाबाद – फतेहगढ़ होता हुआ एक 380 किमी लम्बा ग्रीनफील्ड इकनॉमिक कोरिडोर एक्सप्रेस-वे को जल्द से जल्द मूर्त रूप देनें की कृपा करें जिससे कि सामरिक दृष्टि के फर्रुखाबाद स्थित राजपूत रेजीमेंट और सिखलाई रेजीमेंट को जोडनें वाला एक एक्सप्रेस-वे मिल जाए साथ ही साथ पर्यटन और तीर्थ की दृष्टि से महत्व पूर्ण बाबा नीमकरोरी धाम, अन्तर्राष्ट्रीय जैन तीर्थ स्थल कम्पिल, अन्तराष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा आने-वाले श्रद्धालुओं को देश की राजधानी दिल्ली से एक्सप्रेसवे मार्ग की सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी जिससे जाम की समस्या से तो निजात मिलेगी ही साथ ही साथ दिल्ली जेवर एयरपोर्ट भी आसानी से पहुंचा जा सकेगा।

(इति)

Re: Need to establish a 50-bedded Ayush Hospital in Maharajganj Parliamentary Constituency

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : मेरा संसदीय क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा, बिहार राज्य, के दो जिलों सारण (छपरा) जिला एवं सिवान के छ: विधानसभा चुनाव क्षेत्रों को मिलाकर बना है। इन दोनों जिलों की जनसंख्या लगभग 65 लाख है। इतनी बड़ी आबादी की स्वास्थ्य समस्याओं को आये दिन मुझे क्षेत्र के भ्रमण के क्रम में सुनने को मिलता रहता है। इसलिए जनहित में मेरे संसदीय क्षेत्र के सारण (छपरा) जिला के अंतर्गत जलालपुर, बनियापुर, एकमा एवं सिवान जिला के अंतर्गत महाराजगंज, लकड़ी नबीगंज के मदारपुर में से किन्हीं एक-एक स्थनों पर 50 बेड का आयुष अस्पताल स्थापित कराये जाने की आवश्यकता है।

अत : महोदय के माध्यम से भारत सरकार के आयुष मंत्री से मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के उपरोक्त स्थानों में से किसी भी स्थान पर 50 बेड का आयुष अस्पताल खुलवाया जाए ताकि हमारे देश की स्वदेशी चिकित्सा को बढ़ावा देने के साथ-साथ हमारे क्षेत्र की जनता को भी स्वदेशी विधि से अपनी चिकित्सा कराने का लाभ मिल सके।

(इति)

Re: Modification in Ayushman Bharat Yojana

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसे 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया। इसके तहत हर पात्र परिवार को ₹5 लाख तक की वार्षिक कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाती है। भर्ती से 3 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का खर्च शामिल है। पहले से मौजूद बीमारियां भी कवर की जाती हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को विशेष लाभ मिलता है। देशभर में पंजीकृत किसी भी अस्पताल में मरीज इलाज करा सकते हैं। यह योजना गरीब और वंचित वर्गों को चिकित्सा सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन इसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है, जैसे कि अस्पतालों के बिल भुगतान में तेजी लाई जाए, ताकि वे योजना में मरीजों का इलाज करने से न हिचकें, छोटे कस्बों, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में अस्पताल पंजीकृत किए जाएं, गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यय सीमा बढ़ाई जाए, 6 या अधिक संख्या वालें बच्चों के परिवारों को योजना का लाभ देना परिवार नियोजन नीति के खिलाफ है; इसे तुरंत समाप्त किया जाए तथा सत्यापन प्रक्रिया सरल और तेज बनाई जाए। यह योजना वंचित वर्गों की चिकित्सा जरूरतें पूरी कर उन्हें गरीबी रेखा से बाहर लाने का ऐतिहासिक प्रयास है।

(इति)

Re: Need to establish Navodaya Vidyalaya and Kendriya Vidyalaya in Malda district, West Bengal

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर) : मालदा जिले में 3 लाख में अधिक आदिवामी (ST) समुदाय के लोग निवास करते हैं. जो जिले की कुल जनसंख्या का लगभग 7.87% है। इसके अतिरित, 21% जनसंख्या एससी समुदाय से संबंधित है। इस संदर्भ में, मैं मालदा जिले में आदिवासी और अनुसूचित जनजाति समुदाय के बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की सिफारिश करता हूं। इस कदम से इन समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। जिले के निम्नलिखित स्थान नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए उपयुक्त हैः • हबीबपुर ब्लॉक • गाजोल ब्लॉक पुराना मालदा ब्लॉक • बामंगोला ब्लॉक। इन स्थानों पर नवोदय विद्यालय की स्थापना से आदिवासी और अनुसूचित जनजाति समुदाय के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर मिलेंगे, साथ ही यह क्षेत्र के शिक्षा स्तर को ऊँचा उठाने में भी मदद करेगा। साथ ही, समसी में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी है. जो इस क्षेत्र में शिक्षा की पहुंच को बढ़ाएगा और पूरे जिले के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देकर, मालदा जिले में उपयुक्त स्थानों पर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए कदम उठाए जाएं।

(इति)

Re: Construction of Railway overbridge at level crossing Nos. 156 and 101 in Dausa district, Rajasthan

श्री मुरारी लाल मीना (दौसा) : बांदीकुई शहर जिला दौसा (राजस्थान) में रेलवे फाटक संख्या 104, बादीकुई आगरा रेत लाइन पर शहर के मध्य स्थित है। इस रेल मार्ग पर प्रतिदिन 70 से अधिक ट्रेने गुजरती है. जिससे फाटक के बंद रहने के दौरान गभीर ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या का समाधान पिछले 25 वर्षों से मांगा जा रहा है। ओवरब्रिज का निर्माण इस समस्या का समाधान हो सकता है. लेकिन इससे फाटक के दोनों ओर स्थित हजारों दुकानों को नुकसान होगा जिससे लोगों की आजीविका संकट में आ जाएगी और शहर का मुख्य बाजार समाप्त हो सकता है।

इसका एक वैकल्पिक और स्थायी समाधान है कि बांदीकुई जंक्शन से दिल्ली और आगरा की ओर जाने वाले रेल मार्ग पर, क्रमशः फाटक संख्या 156 (घोली गुमटी) और फाटक संख्या 101 (लीलोज) है, जिनकी दूरी मात्र 2 किमी है। नई समानांतर रेल लाइन का निर्माण कर, इन दोनों स्थानों को जोडते हुए ट्रेनें संचालित की जा सकती हैं। नई लाइन चालू होने पर मौजूदा रेल मार्ग को बंद कर, रेलवे भूमि का पुनः उपयोग किया जा सकता है। यह समाधान न केवल यातायात जाम से राहत देगा, बल्कि शहर के व्यापार और सामाजिक सरचना को भी संरक्षित करेगा।

अतः आपसे निवेदन है कि इस प्रस्ताव पर विचार कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(इति)

Re: Need to institute an inquiry into the incident of leakage of customer data from the website of a Private Health Insurance Company

डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश (धुले) : मैं स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के डेटा लीक के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। सितंबर 2024 में, भारत की सबसे बड़ी बीमा फर्मों में से एक, स्टार हेल्थ का डेटा टेलीग्राम पर लीक हुआ था। इसमें 3 करोड़ से अधिक ग्राहकों के नाम, पते, कर जानकारी, आईडी कॉपी, परीक्षण परिणाम और निदान जैसी गोपनीय जानकारी शामिल थी। जैसे-जैसे डिजिटल सिस्टम पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है, डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा अब मामूली चिंता नहीं रह गई । अगर सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के बारे में वाकई गंभीर है, तो हमें इस डेटा उल्लंघन के लिए बीमा कंपनी को जवाबदेह ठहराना होगा और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी होगी। हमें स्पष्ट संदेश देने की जरूरत है कि डेटा सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हमें यह अभी करने की जरूरत है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 70बी के अनुसार डेटा उल्लंघन और अंदरूनी संलिप्तता, यानी कंपनी के सीआईएसओ की कथित भागीदारी के लिए जांच गठित करे; और भविष्य में इस तरह के डेटा लीक को रोकने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत नियमों को अद्यतन और अधिनियमित करें। (इति)

Re: Establishment of AIIMS in Prayagraj, Uttar Pradesh

श्री उज्ज्वल रमण सिंह (इलाहाबाद) : मैं सरकार का ध्यान प्रयागराज की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 27 अगस्त 2017 को प्रयागराज में एम्स की स्थापना की घोषणा की थी इलाहाबाद में एम्स की स्थापना के लिए 200 एकड़ की जमीन की तलाश यमुना पार के नैनी और शंकरगढ़ इलाके में की गई थी परंतु हाल ही में केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है कि प्रयागराज में एम्स की स्थापना करने का उसका कोई विचार नहीं है संगम नगरी में एम्स का सपना संजोए लोगों के लिए यह खबर निराश करने वाली है। पिछले 10 वर्षों में प्रयागराज की आबादी में काफी वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरुप मौजूदा चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव है। प्रयागराज में आधुनिक चिकित्सा की किल्लत है। इसके बावजूद प्रयागराज में एम्स की स्थापना के लिए जमीनी हकीकत का आकलन नहीं किया गया। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए यहां के लोगों को या तो लखनऊ जाना पड़ता है या नई दिल्ली जाना पड़ता है, जिससे बहुत अधिक धन व समय की बर्बादी होती है।

(इति)

Re: Need to provide stoppage of Aravali Express (train no. 19707/08) at Ramgarh Shekhawati Railway Station in Jhunjhunu Parliamentary Constituency

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनू) : ट्रेन संख्या 19707 और 19708 अरावली एक्सप्रेस मेरे संसदीय क्षेत्र झुंझुनूं के रामगढ़ शेखावाटी होते हुए श्रीगंगानगर से बांद्रा टर्मिनल (मुम्बई) के बीच चलती है। मेरा संसदीय क्षेत्र झुंझुनूं सहित सीकर ,चुरू सैनिकों के जिले होने के साथ साथ ये शिक्षा नगरी भी है। यहां से लाखों युवा भारतीय सेना में है और लाखों युवा ही बाहर के यहां आसपास अध्ययनरत भी है। सैनिकों को देश के अलग अलग स्थानों पर सर्विस के लिए आना जाना होता हैं। इस स्टेशन के नजदीक ही सालासर बालाजी सहित अनेक धार्मिक स्थल स्थित है। इस ट्रेन का स्टॉपेज रामगढ़ शेखावाटी स्टेशन पर नहीं होने से यहां के सैनिकों,श्रृद्धालुओं और विद्यार्थियों को काफी असुविधा हो रही है। इसलिए मै माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि ट्रेन संख्या 19707 और 19708 अरावली एक्सप्रेस का स्टॉपेज रामगढ़ शेखावाटी स्टेशन पर करने की कृपा करें जिससे क्षेत्रवासियों के साथ साथ सैनिकों, श्रृद्धालुओं और विद्यार्थियों को इस ट्रेन का फ़ायदा मिल सके।

(इति)

Re: Need to expedite completion of Sanctioned Railway Over Bridges at various level crossings in Attingal Parliamentary Constituency in Kerala

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): I would like to draw the attention of the house towards the inordinate delay in the construction of sanctioned Railway Over Bridges in Attingal Parliamentary Constituency, Kerala. Chirayinkeezhu Railway Over Bridge (LC-566) was sanctioned in the year 2013. The construction works were started only two years back and the inordinate delay in works is causing great difficulties to the public. Similarly, the Railway Over Bridge at Kaniyapuram Level Crossing (LC-573) was also sanctioned in the year 2013. The works of this ROB is not started yet and the public are facing with extreme difficulties due to closure of railway gate at Kaniyapuram. Apart from these two, works of ROBs at LC-567 - Sharkara (Year of sanction 2013), LC-569 - Manjaadimood (Year of sanction 2013), LC-555 - Edava (Year of sanction 2012), LC-557 - Venkulam (Year of sanction 2012) LC-558 - Punnamood. (Year of sanction 2016) and LC-570 - Azhoor Gate (Year of sanction 2018) are pending. It is necessary to take immediate measures for the execution of these projects without further delay. I request the Government to complete the sanctioned Railway Over Bridges in Attingal Parliamentary Constituency under Thiruvananthapuram Railway Division at the earliest.

(ends)

Re: Death of a student of IIT, Delhi during a research tour in Ahmedabad

श्री आनंद भदौरिया (धौरहरा) : मै, सांसद, आनंद भदौरिया, उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर लोकसभा क्षेत्र धौरहरा के गांव बसारा के मूल निवासी श्री राम खेलावन की सुपुत्री सुरभि वर्मा के निधन के विषय में सदन को अवगत कराना चाहता हूँ।

सुरभि वर्मा IIT Delhi में शोध छात्रा थी। शोध के सिलसिले में अपनी गाइड प्रो० श्रीमती यामा दीक्षित के साथ चार दिवसीय दौरे पर गुजरात के अहमदाबाद गयी थी। इस टीम में प्रो० प्रभाकर एवं एक शोध छात्रा शिखा राय IIT Gandhinagar से भी शामिल थे।

दिनाँक 27-11-2024 घटना स्थल पर मिट्टी के नमूने इकट्ठा करने के लिए सुरभि वर्मा को एक 12-15 फीट हरे गड्ढे में उतारा गया। गड्ढे की मिट्टी फिसलने के चलते गड्ढे में दबने से घटना स्थल पर ही सुरभि का निधन हो गया।

गड्डा मानकों की अनदेखी करते हुए खोदा गया। खुदाई रोड़ कांट्रैक्टर द्वारा JCB से करायी गयी। खुदाई ASI निषिद्ध क्षेत्र में की गई। ASI से NOC नहीं ली गयी। तथा खुदाई की कोई सूचना भी ASI, स्थानीय पुलिस, हसीलदार एवं SDM को नहीं दी गयी। खुदाई के समय SOP का पालन नहीं किया गया। दुर्घटना के समय कोई बचाव दल भी मौजूद नहीं था। सुरक्षा मानकों को दरकिनार करते हुए छात्रा को गहरे गड्ढे में उतार दिया या जिसमें पहले से ही दलदल एवं पानी मौजूद था। जिसके कारण मिट्टी धंसने से छात्रा दब गई। इस प्रकार संस्था की घोर लापरवाही से छात्रा की जान चली गई।

उक्त संदर्भ में निवेदन है कि-

SOP बनाकर उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटना किसी अन्य छात्र के साथ ना हो। घटना के लिए जवाबदेही तय की जाए।

- पीड़ित छात्र परिवार को 1.5 करोड़ रूपया मुआवजा दिया जाए।

- आश्रित को योग्यता अनुसार केन्द्रीय शिक्षण संस्थान में नियुक्ति कराई जाये।

(इति)

Re: Need to frame laws to abolish superstitious practices in the country

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : देश में अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। जिससे व्यापक रूप से जन धन की हानी हो रही है। सरकार के पास अंधविश्वास से हो रही जन धन के हानि को रोकने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं है, और ना ही अब तक देश में अंधविश्वास फैला कर धन कमाने वालों, आज्ञानता फैलाने वालों पर कार्यवाही के लिए कोई कानून ही बन पाया है। एक समय था जब देश में कुप्रथा, देश में सती प्रथा, अस्पृश्यता प्रथा, देवदासी प्रथा, शुद्धिकरण प्रथा, नरबलि प्रथा आदि कुप्रथाओं के खिलाफ समय-समय पर आवाज उठी और कानून बने और मान्यताओं को नकार कर देश में परिवर्तन हुआ। अंधविश्वास फैलाने वाले तंत्र, जहां गरीबी तथा अशिक्षा है, वहां अंधविश्वास फैलाकर विकास का नाश कर रहे हैं। कोई अपनी जीभ काटता है, कोई बच्चों की बलि चढ़ाता है। जिस कारण बच्चे, बूढ़े, महिला तथा पुरुष इस अंधविश्वास का शिकार हो रहे हैं। लेकिन सरकार के पास ना तो कोई सर्वेक्षण है, ना कोई बचाव व जागरूकता के तंत्र हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अंधविश्वास को देश से मिटाने का तंत्र विकसित करें और कानून बनाएं।

(इति)

Re: Need to take immediate steps to address the grievances of Hindu Minority in Bangladesh

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The issue of arrested ISKCON monk and the Hindu leader could not be represented by any lawyer in Bangladesh Court. Various organizations threatened to boycott people and products of Bangladesh. Diplomatic relations between the neighbours and once-close allies have been prickly since August, 2024 when former Prime Minister of Bangladesh fled the country after a public uprising. Attacks began on some of the homes, businesses, and places of worship of the Hindu community in Bangladesh. For India, Bangladesh is not just any neighbouring country, it is a strategic partner and crucial ally to India's border security, particularly in the north-eastern states. The two countries also share close cultural and linguistic ties. Hindus constitute less than 10% of Bangladesh’s 170 million populations. In the aftermath of the chaotic overthrow of country’s Prime Minister in August, many of her supporters were targeted, including those from religious minorities traditionally seen as backing her. Feelings are running high in India. Newspapers reported that our Foreign Secretary is likely to visit Bangladesh. Bangladesh should first address the lawlessness there, particularly the attack on minorities. I urge upon the Central Government to take immediate steps to redress the grievances of Hindu minority of Bangladesh. (ends)

Re: Need to make the HBL Integrated Vaccine Complex (IVC) Bio Lab at Chengalpet in Tamil Nadu fully functional

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Though all infrastructure facilities are available in Bio Lab namely HBL IVC at Chengalpet in Tamil Nadu, with a little more investment, it would be made functional. This Lab was visited by the then Union Minister of Health and Family Welfare along with erstwhile State Minister of Health and Family Welfare. I have personally visited this Lab and made enquiries on 14.05.2021 and issued a press statement urging the importance of opening this Lab immediately. Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu having understood the importance of vaccine production, made a visit to the said complex on 26.05.2021. The Chief Minister of State also sent a delegation to discuss various issues comprehensively with the Union Minister on 28.05.2021. Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu also made a visit to New Delhi on 17.06.2021 and submitted a memorandum and requested the Hon'ble Prime Minister to take steps to make this Bio Lab fully functional for vaccine production. However, the permission to get its functional is still awaited. Therefore, I request the Union Minister to do the needful to make this Lab functional as soon as possible. (ends)

Re: Need to restore concession in train fare for Senior Citizens

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे (मावल) : रेलवे के नियमों के मुताबिक 60 वर्ष के पुरुष और 58 साल की महिला वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं। इन्हें पहले ट्रेन की सभी श्रेणियों के किरायों में छूट दी जाती थी। यह छूट मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, जन शताब्दी, दुरंतो जैसी सभी ट्रेनों में मिलती थी। यह छूट पुरूष वरिष्ठ नागरिकों के लिए 40% और महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% थी। इसे कोरोना काल में बंद कर दिया गया है। लेकिन कोरोना खत्म हो गया, और वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये में छूट मिलना शुरू नहीं हुई। सरकार द्वारा नागरिकों से हर प्रकार के छूट को समाप्त कर दिया गया है, पहले गैस सिलेंडर पर भी छूट मिलती है लेकिन सरकार ने धीरे- धीरे इस छूट को समाप्त कर दिया और अब कोरोना काल में वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराये मे मिलने वाली छूट को भी समाप्त कर दिया है इससे लोगों मे भारी नाराजगी है और सरकार को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों को फिर से पहले की भांति रेल किराये में छूट प्रदान की जाए। (इति)

Re: Need to start survey and mining of gold in Jamui district, Bihar

श्री अरुण भारती (जमुई) : मेरे लोक सभा क्षेत्र जमुई (बिहार) के अंतर्गत आने वाला जमुई जिला एक आकांक्षी जिला है और जमुई जिले के सोनो प्रखंड के करमटिया के जमीन के अंदर देश का 44 प्रतिशत स्वर्ण भंडार मिलने की जानकारी दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार के खनिज मंत्री ने संसद में दी थी। जमुई के सोनो प्रखंड इलाके के करमटिया में स्वर्ण भंडार को लेकर जीएसआई के द्वारा कई बार सर्वे कराया गया है जिसमे यह पता चला है कि यहां देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है लेकिन पूर्व में पुराने तकनीक से जमीन के अंदर से खुदाई कर सोना निकालने में अधिक खर्च होने के कारण यह सर्वेक्षण पिछले कई वर्षो से लंबित है। सोनो प्रखंड और जमुई लोक सभा के नागरिकों को उम्मीद है कि सरकार द्वारा सर्वेक्षण का काम जल्द ही शुरू होगा और अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीक से करमटिया में सोने के खनन को शुरू किया जा सकेगा जिससे जमुई ही नहीं पूरे देश-प्रदेश को फायदा होगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि जमुई में सर्वेक्षण और खनन के कार्य को तत्काल प्रारम्भ किया जाए जिससे न केवल जमुई को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि मिलेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा क्षेत्र के चँहुमुखी विकास के साथ-साथ आधारभूत संरचना का भी विकास होगा। (इति)

Re: Refund of money to people who invested in Sahara company

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : सहारा की सहकारिता समितियों का भुगतान 86000 करोड़ रूपये का क्लेम आया है। इस संबंध मे मुझे निम्न जानकारी दीजिए-

1. सहारा रिफंड पोर्टल पर वह कब तक भुगतान होगा ?
2. केंद्र सरकार ने सहारा सेवी रिफंड खाते में 25 हजार करोड़ रुपया से 5000 रोड़ रुपए ही क्यों डिमांड किया?
3. 5000 करोड़ रुपया से अभी तक 1200 करोड़ ही क्यो भुगतान हुआ पूरा क्यों नहीं?
4. सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लेम करने वालो 99% लोगो का क्लेम रिजेक्ट क्यों किया गया है?
5. सहारा इंडिया ने सहकारिता समितियो को उत्तर गलत दिया तो सहकारिता मंत्री ने सहारा पर कार्रवाई क्यों नहीं किया?
6. सुप्रीम कोर्ट ने 31/08/2012 को सहारा इंडिया की दो कंपनीयां (i) रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और (ii) हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को अवैध घोषित कर 3 करोड़ लोगों को भुगतान का आदेश दिया था। सहारा इंडिया ने कोर्ट का आदेश नहीं मानकर उसे सहारा क्यू शॉप कंपनी और सहारा की क्रेडिट कॉपरेटिव की 4 सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट और संसद को गुमराह किया कि हमने सभी का भुगतान कर दिया। इस बड़े फर्जीवाड़ा की जांच एस एफ आई ओ द्वारा की गई, जिसकी जांच रिपोर्ट संसद में है। फिर सहारा पर कर्रवाई क्यों नहीं की गई? सरकार जवाब दे।

(इति)

Re: Restoration of rights of Panchayati Raj Institutions in Daman and Diu Parliamentary Constituency

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : मेरे संसदीय क्षेत्र दमण-दीव मे पंचायतीराज संवैधानिक संशोधन 73वें एवं 74वें संशोधनों मे वर्ष 2018 से 2022 मे फिर से संशोधन/सुधार कर पंचायतीराज मे स्वराज्य संस्थाओ के मिले सारे हक, अधिकार छीन लिए गये है। संशोधन/सुधार से पूर्व स्थानीय संस्थाओ या जनता से सलाह भी नही ली गई ,नये संशोधन/सुधार के लिए लोकसभा और राज्यसभा की भी जरूरी प्रकिया भी पूरी नही की गई है, केवल कानून मंत्रालय की मंजूरी लेकर कैबिनेट से यह संशोधन सुधार करवा लिए गये। क्या संवैधानिक संशोधनो मे संशोधन या सुधार बिना लोकसभा और राज्यसभा की जरूरी प्रकिया पूरी किए बिना भी किये जा सकते है? हमारे प्रदेश मे लोकसभा के बाद स्वराज्य संस्थाये ही है, विधानसभा नही है। वैसे मे प्रदेश के विकास के लिए स्वराज्य संस्थाओ का मजबूत होना बहुत जरूरी है, पर हमारी स्वराज्य संस्थाओ के पास किसी को NOC या नोटिस देने तक का अधिकार नही है। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि किए गये संशोधनों को निरस्त कर हमारी स्वराज्य संस्थाओं के हक और अधिकार फ़िर से बहाल करे।

(इति)

Re: Need to provide financial assistance for construction of roads and bridges in Purnia District, Bihar

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया) : कोशी-सीमांचल क्षेत्र पूर्णिया बिहार में सप्त कोशी नदी एवं सहायक नदियों में प्रत्येक वर्ष आयी बाढ़ से भारी तबाही होती है , जिससे जान माल सहित पूर्णिया जिले का अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र जलमग्न हो जाता है | ग्रामीण क्षेत्र की सड़के बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसके कारण आम जन जीवन को आवागमन में भारी कठिनाई होती है | अत: मैं सरकार से माँग करता हूँ पूर्णिया जिला को कम से कम एक हजार करोड़ रूपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन दे ताकि जिले में इस योजना से घर क्षतिपूर्ति ,कंक्रीट सड़को, पुल-पुलिया का निर्माण हो सके।

(इति)

… (व्यवधान)

(1215/MM/SMN)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : आप लोग प्लीज़ बैठ जाइए। शून्य काल आ रहा है, पहले मंत्री जी को सुन लीजिए।

... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : सभापति महोदय, यह पूरे देश ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से सदन और पूरे देश को अपनी हरकतों से शर्मसार किया है। ... (व्यवधान)

1215 hours

(At this stage, Dr. Mallu Ravi, Shri Benny Behanan and some other hon. Members came and stood near the Table)

सर, यहां जितने मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब अपने-अपने क्षेत्र से आते हैं और अपनी बात को संसद में रखना चाहते हैं। लेकिन, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व जॉर्ज सोरोस के साथ तालमेल करके देश के खिलाफ काम करती है।... (व्यवधान) और फिर रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर के यहां तरह-तरह के आपत्तिजनक नारे लगाते हैं। ... (व्यवधान) सर, इन्होंने सदन की गरिमा को चोट पहुंचायी है। ... (व्यवधान) हमारे पूरे देश से चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात को सदन में रखना चाहते हैं। ... (व्यवधान) लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व की मनमानी के कारण, ये लोग हर बार संसद के नियमों को ताक पर रखकर, जैकेट पहनकर, नारा लगाकर, फिल्म और वीडियो बनाने का नाटक हर बार ये लोग करते रहते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाइए। सदन को चलाने के लिए, सदन को ऑर्डर में आने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : सर, मेरी इस पर आपत्ति है। ... (व्यवधान) मैं कांग्रेस पार्टी से यह मांग करता हूं कि आपके शर्मनाक व्यवहार की वजह से सदन की गरिमा को जो ठेस पहुंची है, उसके लिए आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। ... (व्यवधान) जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है? ... (व्यवधान) देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है? ... (व्यवधान) इस बारे में आपको सदन में माफी मांगनी चाहिए।... (व्यवधान) मैं आपका खंडन करना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : रिजिजू जी, प्लीज़ आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सब लोगों से भी विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप अपनी चेयर पर जाइए और सदन को चलाने में मदद कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए। आप लोग प्लीज अपनी-अपनी सीट पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग प्लीज़ अपनी-अपनी चेयर पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग भी बैठ जाइए, प्लीज़।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग सदन नहीं चलाना चाहते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1217 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 11 दिसम्बर, 2024/20 अग्रहायण, 1946 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।